1 जून, 2012 को आयोजित डी ए एस के क्रियान्वयन पर कार्य बल बैठक के कार्यवृत्त

कार्य बल की बैठक 1 जून, 2012 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव (प्रसारण) द्वारा की गई थी। भागीदारों की सूची अनुबंध में है। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

1) अपर सचिव ने बैठक के लिए कार्य बल सदस्यों का स्वागत किया और संयुक्त सचिव को डिजिटलाइजेशन में तैयार प्रगति की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुतीकरण तैयार करने को कहा। संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने अपने प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला :

   क) **राष्ट्रीय स्तर के एम एस ओ द्वारा सीडिंग सेट टॉप बाक्सों (एस टी बी) के बारे में प्रगति** : उन्होंने मुख्य रूप से प्रकाश डाला कि 4 बड़े शहरों में डिजिटलाइजेशन के लिए अपेक्षित एस डी बी की कुल संख्या लगभग 1,23,16,500 है। तथापि, इसके मुकाबले में 25 मई, 2012 तक केवल 28,04,431 एस टी बी सीड किए गए थे, जो शेष 95,12,069 एस टी बी को छोड़कर थे। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि स्टॉक में 14,61,469 एस टी बी थे और एस टी बी, जिनके लिए ऑर्डर दिए गए हैं, 109,70,000 हैं परंतु एस टी बी की सीडिंग की दर किंचित इस तथ्य को बढ़ावा नहीं दे रही थी कि डिजिटलाइजेशन पर अंतिम तारीख तेजी से बढ़ रही थी। एम एस ओ से एकत्रित डाटा दर्शाता है कि औसतन लगभग 50 से 60 हजार एस टी बी को प्रति सप्ताह सीड किया जा रहा था, जबकि दर लगभग 2 लाख एस टी बी प्रतिदिन होनी चाहिए। उन्होंने सभी एम एस ओ को आगे बढ़ने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया अपेक्षित स्पीड को डिजिटलाइजेशन के कार्य को समाप्त करने के लिए बढ़ाया जाए।

   ख) **स्थानीय केबल आपरेटरों के बारे में डाटा :** कार्य बल को यह सूचित किया गया था कि मंत्रालय ने डाकघर से सीधे केबल आपरेटरों की कुल संख्या के बारे में डाटा एकत्र किया है। स्थानीय केबल आपरेटरों की संख्या निम्नानुसार है :

दिल्ली	:	1841
चेन्नई	:	1957
कोलकाता	:	421
मुंबई	:	2519

   अत: 4 बड़े शहरों में स्थानीय केबल आपरेटरों की कुल संख्या 6852 है।

ग) **एम एस ओ के लिए आवेदन :** कार्य बल को यह भी सूचित किया गया था कि एम एस ओ से 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 आवेदनों को अंतिम रूप दिया गया है और मंजूरी के अंतिम चरण में हैं। शेष 10 आवेदन समीक्षाधीन हैं।

घ) **आर आई ओ (संदर्भ अंत:संयोजन प्रस्तावों) का प्रकाशन और करार :** यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि टी आर ए आई से मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 25 प्रसारकों ने अपने आर आई ओ, टी आर ए आई में दायर किए हैं जबकि एम एस ओ ने अब तक अपने संदर्भ अंत:संयोजित आफरों को प्रकाशित नहीं किया है। इसलिए इसमें एक चिंता यह थी कि आर आई ओ के प्रकाशन एवं करारों पर हस्ताक्षर करने में देरी का डिजिटलाइजेशन की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ड.) यह सूचित किया गया था कि मंत्रालय में तमिलनाडु सरकार से डिजिटलाइजेशन को पूरा करने के लिए 31 दिसम्बर, 2012 तक समय का विस्तारण चाहने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ था। कार्यबल को यह भी सूचित किया गया था कि तमिलनाडु का स्वयं का उपक्रम अर्थात मैसर्स अरासु केबल टीवी कारपोरेशन लिमिटेड, जो चेन्नई में सबसे बड़ा एम एस ओ है, ने 21 मई, 2012 को एस टी बी के प्रापण एवं आपूर्ति एवं शीर्ष स्तर के अधिष्ठापन हेतु एक वैश्विक निविदा निकाली है। निविदा अनुसूची के अनुसार यह स्पष्ट है कि वे चेन्नई में ग्राहकों को डिजिटल सिगनल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने में समय लेंगे।

संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने भी कार्य बल को सूचित किया कि अपर सचिव की अध्यक्षता वाली एम आई बी की टीम ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया था। मुख्य सचिव के साथ 24 मई, 2012 को आयोजित बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने भी डिजिटलाइजेशन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा वचन दिया गया था कि इस संबंध में एक पत्र शीघ्र भेजा जाएगा। इसी तरह से, प्रभारी मंत्री, शहरी विकास; पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मौजूदा समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए प्रेस से बात की है।

च) कार्यबल को यह भी सूचित किया गया था कि केबल आपरेटरों द्वारा न्यायालय संबंधी दो मामले दिल्ली और मुंबई में दायर किए गए हैं और यह कि मंत्रालय मामलों के बचाव में उपयुक्त जवाब दायर करेगी।

प्रस्तुतीकरण के बाद, अपर सचिव ने कार्यबल के सदस्यों से डिजिटलाइजेशन पर हुई प्रगति पर अपने विचारों को पेश करने का अनुरोध किया।

एम एस ओ गठबंधन के प्रतिनिधि श्री मनसुखानी द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि एस टी बी की सीडिंग में धीमी प्रगति ग्राहक की अति कम मांग के कारण थी। उन्होंने अनुरोध किया किक मंत्रालय द्वारा प्रचार अभियान को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि हर एक संबंधित व्यक्ति तक यह पहुंच सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आई बी एफ को उपभोक्ता कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करना था। तथापि, जो अब तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कार्यबल को सूचित किया कि एम एस ओ गठबंधन ने अपने स्वयं का उपभोक्ता कार्यक्रम तैयार किया है जिसे 10 दिन में शुरू किया जाएगा।

श्री मनसुखानी और सी ओ एफ आई की सुश्री रूपा शर्मा एक प्रेस विज्ञापन को कार्यबल की जानकारी में लाये, जिसे वीडियोकॉन कंपनी द्वारा अपने डी टी एच प्लेटफार्म के संवर्धन के संबंध में टाइम्स आफ इंडिया में व्यक्त किया गया था। उन्होंने यह उल्लेख करते हुए विज्ञापन के विषय पर आपत्ति उठाई कि विज्ञापन भ्रामक था क्योंकि यह कहता है कि "केबल 30 जून तक ही मौजूद रहेगा।" संयुक्त सचिव (प्रसारण) द्वारा सूचित किया गया था कि मंत्रालय ने इस विज्ञापन को नोट कर लिया है और वीडियोकॉन को ऐसे भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए एक पत्र भेजा जा रहा है। श्री मनसुखानी ने उल्लेख किया कि प्रसारकों द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंत:संयोजित आफर काफी जटिल था क्योंकि प्रसारकों द्वारा बताए गए तकनीकी मानकों को पूरा करना मुश्किल था, इसमें लेख-चोरी रोधी, ग्राहक प्रबंधन प्रणाली आदि की कई शर्तें थीं, जो मुकदमेबाजियों को बढ़ावा दे सकती हैं। इस बिंदु पर अपर सचिव ने उल्लेख किया कि इसमें लेख चोरी एवं धोखेबाजी के लिए नगण्य गुंजाइश होनी चाहिए।

सुश्री रूपा शर्मा ने विशेष उल्लेख किया कि उपभोक्ता चयन अभी क्षेत्रीय स्तर पर शुरू नहीं किया गया है; जो अंतत: डी टी एच को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि घर में सभी टेलीविजनों के साथ एक अलग सेट टॉप बॉस संदेश फैलाने के लिए होना चाहिए। सुश्री शर्मा ने उल्लेख किया कि शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि एम एस ओ उपभोक्ताओं को एस टी बी नहीं दे रहे थे। बिजली कटौती आदि के कारण सीडिंग समय भी कम था। उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि कुछेक क्षेत्रों में, जैसे कि कापसहेड़ा आदि में, डिजिटल लाइन आदि उपलब्ध नहीं थी। श्री मनखानी ने उल्लेख किया कि उन क्षेत्रों की एक सूची एम एस ओ गठबंधन को जांच हेतु उन्हें दी जा सकती है। सुश्री शर्मा ने आगे उल्लेख किया कि टी आर ए आई द्वारा प्रस्तावित राजस्व शेयरिंग व्यवस्था केबल आपरेटरों को स्वीकार्य नहीं थी और यह कि वे इस संबंध में टी आर ए आई से संपर्क करना चाहते थे। घर में बहुप्रयोजन टेलीविजनों, के मामले में अदा किये जाने वाले मनोरंजन कर के संबंध में कई ग्राहक से संबंधित मामलों में सेटटॉप बॉक्सों द्वारा बिजली खपत और दर को स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।

उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री हेमंत उपाध्याय ने उपभोक्ता जानकारी के लिए उपलब्ध बहुत कम समय के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। उनकी राय थी कि चूंकि, उपभोक्ता के लिए इस बारे में यह निर्णय लेना मुश्किल है कि एस टी बी आदि को कब खरीदा जाए।

आई बी एफ से श्री मोहन ने उल्लेख किया कि प्रसारकों द्वारा दरें लगभग एक जैसी थीं अर्थात गैर सी ए एस के लिए 42 प्रतिशत और उसे डी टी एच आपरेटरों से वसूला गया। इसलिए, वह चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र करार पर हस्ताक्षर किया जाए।

अपर सचिव ने उल्लेख किया कि डिजिटलाइजेशन पर सी ओ एस में लिए गए निर्णयों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एस टी बी के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन पर चर्चा करने के लिए एक सब-ग्रुप का निर्माण करना था। तथापि, इस संबंध में किसी प्रगति का होना नहीं प्रतीत नहीं होता। सी ई ए एम ए के प्रतिनिधि ने स्वेच्छा से मामले को आई टी के साथ उठाने एवं अनुवर्तन की इच्छा व्यक्त की।

चर्चा की समाप्ति पर अपर सचिव ने कार्यबल के सदस्यों को चुनौती वाले मुद्दों की महानगरों में डिजिटलाइजेशन की तारीख को बंद करने की तारीख की जांच करने को कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध, एस टी बी के सीडिंग की धीमी प्रगति, प्रसारकों एवं एम एस ओ के बीच और एम एस ओ एवं केबल ऑपरेटरों के बीच हस्ताक्षरित करारों का अभाव और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम की कम पहुंच का बड़े शहरों में समाप्त हो रही तारीखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कार्यबल के सदस्यों से बड़े शहरों में डिजिटलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदार समय सीमाएं तैयार करने को कहा। कार्यबल के सदस्यों ने निम्नलिखित अनुसूची तैयार की :

i) आर आई ओ का प्रकाशन और एम एस ओ और प्रसारकों के बीच 31 जुलाई, 2012 तक अंत:संयोजित करारों पर हस्ताक्षर करना। उन्होंने कहा कि 60 दिन का समय वार्ताओं एवं संविदाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए अपेक्षित था। यह कुछेक देरियों के लिए किसी मार्गदर्शन समय की भी व्यवस्था है, यदि करार असफल हो जाते हैं और टी आर ए आई को हस्तक्षेप करने की जरूरत हो।

ii) एम एस ओ और स्थानीय केबल आपरेटरों के बीच करार। टी आर ए आई द्वारा अंत:संबद्ध विनियमन, 2012 के खंड 5(18) के अनुसार एम एस ओ लिखित अंत:संबद्ध करार किए बगैर किसी लिंक्ड एल सी ओ को टी वी चैनजों के सिंगनल उपलब्ध नहीं करवा सकता। सदस्यों ने कहा कि 60 दिन का समय इन करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपेक्षित होगा, प्रसारकों एवं एम एस ओ के बीच करारों पर हस्ताक्षर होने के बाद अर्थात इन करारों पर 30 सितम्बर, 2012 तक हस्ताक्षर किए जाएंगे।

iii) सदस्यों ने आगे कहा कि प्रसारकों एवं एम एस ओ के बीच (31 जुलाई, 2012) अंत:संबद्ध करारों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद लगभग 100 से 120 दिन का समय शेष 70 लाख एस टी बी के सीडिंग के लिए अपेक्षित होगा। इस प्रकार, अपेक्षित एस टी बी संख्या को 30 नवम्बर, 2012 तक पूरा किया जाएगा।

iv) सदस्यों द्वारा आगे उल्लेख किया गया था कि 15 दिन का समय डिजिटल की वर्तमान व्यवस्था से अन्तरण के लिए जमा सिर्फ डिजिटल के अनुरूपता के लिए तदन्तर अपेक्षित होगा।

अपर सचिव ने यह कहते हुए बैठक का समापन किया कि कार्यबल के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे एवं सुझाए गई समय सीमाओं को सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में लाया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया था कि कार्यबल की अगली बैठक को 15 जून, 2012 को 15.30 बजे आयोजित किया जाएगा।

बैठक को अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त किया गया।